भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3017
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

अनुसूचित जनजाति द्वारा दायर किए गए मामले

3017. श्री राजकुमार रोत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जनजातीय बहुल राज्यों के अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए मामलों के संबंध में की गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय में ऐसे कितने मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं और ये मामले कब से लंबित हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : सरकार फाइल किए गए मामलों, कार्यवाहियों के ब्यौरे और संविधान की चौथी और छठी अनुसूची के अधीन जनजाति प्रधान राज्यों से अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में फाइल किए गए मामलों के संबंध में लंबित मामलों की संख्या का रिकार्ड नहीं रखती है ।

तथापि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा भूमि के विक्रय/अंतरण से संबंधित 45 मामले भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं । इसके अतिरिक्त, सभी मामले जिनमें उपर्युक्त मामले भी शामिल हैं, उच्चतम न्यायालय नियम, 2013, पद्धति और प्रक्रिया तथा कार्यालय प्रक्रिया, 2017 की हस्तपुस्तिका में दिए गए दिशानिर्देशों और समय समय पर परिपत्रों के अनुसार भी और माननीय न्यायालय के साधारण या निर्दिष्ट निदेश के अनुसार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हैं ।

****